कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पत्रांक 179 /विकास कार्य/नि0सू0/2025–26 दिनांक 05/06/2025

ई–निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा कमांक 01 पर उल्लेखित कार्य हेतु इस प्रकार के कार्य करने वाली दक्ष एवं अनुभवी फर्मो जिनके द्वारा इस प्रकार के कार्य को किसी भी सरकारी/अर्द्वसरकारी विभाग में किया गया हो, एवं कमांक 02 पर उल्लेखित कार्य हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारो से टू–बिड के आधार निविदा फार्म/बिल ऑफ क्वान्टिटी के साथ संलग्नक में अंकित विशिष्टियों हेतु ई–निविदा दि0 27.06.2025 को अपरान्ह 2.00 बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। उक्त दोनो कार्यो की फाईनेंशियल बिड को निविदा समिति /अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दि0 28.06.2025 को अपरान्ह में 3.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं एवं अनुभव रहित निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा । आगणन में अकिंत विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

उक्त कार्यो की निविदा मूल्य हेतु पे–आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, अन्य शर्तो के अनुसार सभी आवश्यक अभिलेखो को उक्त बैबसाईट में नियत तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा। इन सभी की मूल प्रति एक लिफाफे में दिनांक 28.06.2025 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अनुभाग में जमा करानी होगी। निर्धारित समय तक वांछित अभिलेख/बिड डाकूमेन्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नही किया जायेगा। अनुभव रहित निविदा पर विचार नही किया जायेगा। मुख्य शर्ते उक्त बैब साईट में दी गयी हैं। अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0–9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु समय–समय पर जारी शासनादेशो के अनुसार होगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की बैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

क्र0	विवरण	अनु0 लागत (रू0 लाख में)	धरोहर राशि (रू0 में)	निविदा मूल्य (रू0 में)	समय सीमा (माह)
1	डी0ए0बी0 (पी0जी0) कालेज देहरादून में 100 फीट उॅचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने एवं एक वर्ष तक रखरखाव व संचालन का कार्य	33.26	75,000.00	2950.00	04 माह
2	मसूरी विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शिल्ला में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	45.00	90,000.00	3540.00	06 माह

अन्य नियम एवं शर्ते

1. कमांक 01 पर उल्लेखित कार्य हेतु इस प्रकार के कार्य करने वाली दक्ष एवं अनुभवी फर्मो जिनके द्वारा इस प्रकार के कार्य को किसी भी सरकारी/अर्द्वसरकारी विभाग में किया गया हो, उसी के द्वारा निविदा में भाग लिया जायेगा। फर्म/ठेकेदार द्वारा इस प्रकार के संतोषजनक रूप से कराये गये कार्यो का विस्तृत विवरण के साथ अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. एवं कमांक 02 पर उल्लेखित कार्य हेतु भी इस प्रकार के भवन निर्माण कार्यो का अनुभव होना आवश्यक होगा। फर्म/ठेकेदार द्वारा इस प्रकार के संतोषजनक रूप से कराये गये कार्यो का विस्तृत विवरण के साथ अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा मूल्य हेतु जमा कराये जाने वाले ड्राप्ट के पिछे जी0एस0टी0 नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।

4. निविदा के साथ मूल रूप में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :–

- निविदा वैधता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, No Dues के सम्बन्ध में, एवं जी0एस0टी0, आई0टी0 व अन्य विभागों के सम्बन्ध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड़ हस्ताक्षरित शपथ पत्र।

5. उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2) 17-20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिश.त से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी नियमानुसार जमा करनी होगी।

6. प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।

7. ई–निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बेवसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रतिलिपिः–

1–सचिव,म0दे0वि0प्राधि0देहरादून ।
2–मुख्य लेखाधिकारी म0दे0वि0प्राधिकरण देहरादून ।
3–मुख्य अभियन्ता, म0दे0वि0प्राधिकरण, देहरादून।
4–नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डो पर चस्पा हेतु।
5–नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आशय से प्रेषित कि वे रोस्टर के अनुसार 02 दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
6– आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7–प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
8–सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।

अधिशासी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।